विश्व महिला सम्मेलन के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही

1570. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीजिंग में आयोजित चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के संबंध में सरकार द्वारा कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई): (क) जी, हां।

(ख) चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के कार्यवाही मंच के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही तथा बीजिंग में भारत के वक्तव्य में व्यक्त प्रतिबद्धताओं के संबंध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विश्व महिला सम्मेलन पर अनुवर्ती कार्यवाही के संबंध में विवरण।

1 कार्यवाही मंच पर अनुवर्ती कार्यवाही

1. महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाले नियमों की समीक्षा प्रारम्भ।
2. बच्चों को बुनियादी पोषाहार सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्रारम्भ।
3. बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदत्त।
4. राज्यों और जिलों में स्थिति की रूपरेखा और जैण्डर विकास संसूचक तैयार करने का कार्य प्रारम्भ।
5. महिला नियोजन और समानता के संबंध में वृहत् आर्थिक नीतियों के प्रभाव पर अध्ययन प्रारम्भ।
6. 200 ब्लाकों में इन्दिरा महिला योजना शुरू।
7. सभी राज्य योजनाओं तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं में महिला योजना घटक के अभिनिर्धारण का प्रस्ताव।
8. लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण हेतु 81वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पुन: स्थापित।
9. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पारिवारिक महिला लोक अदालतों का आयोजन।

2. बीजिंग में की गयी प्रतिबद्धताएं और अनुवर्ती कार्यवाही

मानव संसाधन विकास मंत्री के राष्ट्रीय वक्तव्य में बीजिंग में की गयी प्रतिबद्धताएं तथा उन पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही इस प्रकार है:-

1. शिक्षा पर सकल विकास उत्पाद का 6 प्रतिशत बढ़ा हुआ पूंजी निवेश जिसके लिये कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।
2. आई सी डी एस कार्यक्रम का सर्वसुलभीकरण, जो 1995-96 में मंजूर हुआ ताकि सम्पूर्ण देश को इसके अन्तर्गत लाया जा सके। यह कार्यक्रम सभी ब्लाकों में चलाया जा रहा है।
3. राष्ट्रीय महिला शक्ति सम्पन्नता नीति, जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
4. महिलाओं के अधिकारों के आयुक्त के कार्यालय की स्थापना, जिसे अन्तिम रूप दिया जाना है।
5. कार्यवाही मन्च हेतु राष्ट्रीय स्तर का तंत्र, जिस पर विचार किया जा रहा है।

Oilseeds and Maize Production Programmes in Gujarat

1571. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are implementing Oilseeds and Maize production programmes in the State of Gujarat;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have released central funds for the programmes during the last three years;

(d) if so, the programme-wise and year-wise details thereof during the said period;

(e) whether Government propose to increase the allocation of funds to boost these programmes further in the State; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (d) and (b)Yes, Sir. The Government is implementing Oilseeds Production Programme (OPP) in 18 districts covering an area of 2910'000 ha. and Accelerated Maize Development Programme (AMDP) in 6 districts covering an area of 378000 ha. during the year 1995-96 in the State of Gujarat.